

भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
राँची
भाग – I

ई-निविदा

राँची, झारखंड में विभिन्न स्थानों पर स्थित पट्टे पर लिए गए फ्लैटों की साप्ताहिक बाथरूम सफाई एवं त्रैमासिक गहन सफाई हेतु

2026-27_RBIRanchi_1

निविदाकार का नाम :

पता :

(टिप्पणी : इस दस्तावेज़ में दर उद्धृत न करें। सभी दरें Central Public Procurement (CPP) पोर्टल पर ऑनलाइन उद्धृत की जानी चाहिए। तालिकाओं में दर्शाई गई सभी मदें केवल प्रतिनिधिक प्रयोजन हेतु दी गई हैं।)

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं) की संपत्ति है। भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित अनुमति के बिना, इसे किसी भी माध्यम — इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा — पर प्रतिलिपि, वितरित अथवा अभिलेखित नहीं किया जा सकता, सिवाय भारतीय रिज़र्व बैंक को उक्त प्रयोजन हेतु प्रत्युत्तर देने के प्रयोजन के लिए। इस दस्तावेज़ की अंतर्वस्तु का उपयोग, चाहे प्राधिकृत कार्मिक / अभिकरण द्वारा ही क्यों न हो, यहाँ विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन हेतु सर्वथा प्रतिबंधित है और यह कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा तथा भारतीय विधि के अंतर्गत दंडनीय होगा।

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची ने यह दस्तावेज़ इच्छुक पक्षों को कार्य की पृष्ठभूमि संबंधी सूचना देने हेतु तैयार किया है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें अंतर्विष्ट सूचना को तैयार करने में समुचित सावधानी बरती है और इसे सटीक मानता है, तथापि न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही उसके किसी प्राधिकारी अथवा अभिकरण, अथवा उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों अथवा सलाहकारों में से कोई भी, इस दस्तावेज़ में अंतर्विष्ट सूचना अथवा इसके साथ प्रदान की जाने वाली किसी सूचना की पूर्णता अथवा सटीकता के संबंध में कोई अभिव्यक्त अथवा गर्भित आश्वासन प्रदान करता है।

यह सूचना सर्वग्राही होने के आशय से नहीं है। इच्छुक पक्षों से अपेक्षित है कि वे स्वयं जाँच-पड़ताल करें। इस ई-निविदा के प्रत्युत्तरदाताओं को अपेक्षित है कि वे स्वयं जाँच-पड़ताल करें और उन्हें केवल रिक्त ई-निविदा दस्तावेज़ों / प्रपत्रों में अंतर्विष्ट सूचना पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि प्रत्युत्तरदाताओं द्वारा उचित सावधानी नहीं बरती जाती है तो इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

यह सूचना इस आधार पर प्रदान की जा रही है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा उसके किसी प्राधिकारी अथवा अभिकरण अथवा उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों अथवा सलाहकारों पर आबद्धकर नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य के साथ आगे न बढ़ने अथवा कार्य के अभिविन्यास में परिवर्तन करने, इस दस्तावेज़ में उल्लिखित समय-सारणी में परिवर्तन करने अथवा लागू की जाने वाली प्रक्रिया अथवा पद्धति में परिवर्तन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। बैंक रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे विचार-विमर्श करने से इनकार करने का अधिकार भी अपने पास सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों अथवा निकायों को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

ई-निविदा भाग - I
(निविदा की अनुसूची)

राँची, झारखंड में विभिन्न स्थानों पर स्थित पट्टे पर लिए गए फ्लैटों की साप्ताहिक बाथरूम सफाई एवं त्रैमासिक गहन सफाई हेतु

क्र.सं.	गतिविधि	संभावित तिथि
1	ई-निविदा सं.	2026-27_RBIRanchi_1 [पट्टे पर लिए गए फ्लैटों की सफाई]
2	निविदा की पद्धति	ई-अधिप्राप्ति प्रणाली (CPP पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भाग-I – तकनीकी बोली एवं भाग-II – वित्तीय बोली) https://etenders.gov.in/eprocure/app
3	अनुमानित लागत	₹ 9,00,000.00
4	करार की वैधता	प्रारंभ में 01 अगस्त, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक 8 माह के लिए (अभिकरण द्वारा संतोषजनक निष्पादन तथा संविदात्मक दायित्वों के पालन के अधीन, एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण एवं विस्तार किया जाएगा)।
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर पक्षों के डाउनलोड हेतु निविदा आमंत्रण सूचना (संपूर्ण निविदा सहित) उपलब्ध होने की तिथि	06 जुलाई 2026
6	https://etenders.gov.in/eprocure/app पर भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) एवं भाग-II (मूल्य बोली) प्रस्तुत करने हेतु ई-निविदा की आरंभिक तिथि	06 जुलाई 2026 को अपराह्न 03:00 बजे
7	भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची में पूर्व-बोली बैठक (ऑफ़लाइन) की तिथि	14 जुलाई 2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे
8	बयाना जमा-राशि	*₹ 18,000.00 लाभार्थी का नाम : Reserve Bank of India, Ranchi IFSC : RBIS0RNPA01 (IFSC का पाँचवाँ एवं दसवाँ वर्ण शून्य है) खाता सं.: 186003001 * (यथालागू छूट)
9	बयाना जमा-राशि प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	27 जुलाई 2026 को पूर्वाह्न 10:00 बजे तक (हमारे खाते में परिलक्षित होनी चाहिए)
10	तकनीकी बोली एवं मूल्य बोली प्रस्तुत करने हेतु ई-निविदा की समापन तिथि	27 जुलाई 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक

क्र.सं.	गतिविधि	संभावित तिथि
11	क. भाग-I (तकनीकी बोली) खोले जाने की तिथि एवं समय ख. भाग-II (मूल्य बोली) खोले जाने की तिथि	क. 28 जुलाई 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे ख. निविदा का भाग-II केवल उन्हीं बोलीदाताओं के लिए खोला जाएगा जिन्हें भाग-I में प्रस्तुत की गई सामग्री की जाँच के उपरांत पात्र पाया जाएगा। पात्र बोलीदाताओं को ईमेल के माध्यम से अलग से सूचित किया जाएगा।

यह ई-निविदा भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से तीसरे पक्ष के रूप में Central Public Procurement (CPP) Portal <https://etenders.gov.in/eprocure/app> के माध्यम से निष्पादित की जाएगी। अतः इच्छुक फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अपेक्षित है। ई-निविदा दो भागों में ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी। ई-निविदा के भाग-I में प्रस्तावित कार्य हेतु मानक तकनीकी एवं वाणिज्यिक शर्तें अंतर्विष्ट होंगी तथा भाग-II में मूल्य बोली अंतर्विष्ट होगी। सभी अपेक्षित अनुबंधों को दस्तावेज़ी प्रमाणों सहित निविदा के भाग-I के साथ अपलोड किया जाएगा। यह ई-निविदा है, अतः बोलीदाताओं को बोली खोले जाने के समय उपस्थित रहना अपेक्षित नहीं है।

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

राँची, झारखंड में विभिन्न स्थानों पर स्थित पट्टे पर लिए गए फ्लैटों की साप्ताहिक बाथरूम सफाई एवं त्रैमासिक गहन सफाई हेतु

राँची, झारखंड में विभिन्न स्थानों पर स्थित पट्टे पर लिए गए फ्लैटों की साप्ताहिक बाथरूम सफाई एवं त्रैमासिक गहन सफाई हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची ई-निविदा आमंत्रित करता है। विस्तृत निविदा सूचना सहित यह निविदा 06 जुलाई, 2026 को बैंक की वेबसाइट <https://www.rbi.org.in> के "निविदा" मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध होगी।

2. निविदा प्रक्रिया की समय-सारणी निम्नानुसार है :

क्र.सं.	गतिविधि	संभावित तिथि
1	ई-निविदा सं.	2026-27_RBIRanchi_1 [पट्टे पर लिए गए फ्लैटों की सफाई]
2	निविदा की पद्धति	ई-अधिप्राप्ति प्रणाली (CPP पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भाग-I – तकनीकी बोली एवं भाग-II – मूल्य बोली) https://etenders.gov.in/eprocure/app
3	अनुमानित लागत	₹ 9,00,000.00
4	करार की वैधता	प्रारंभ में 01 अगस्त, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक 8 माह के लिए (एजेंसी द्वारा संतोषजनक निष्पादन तथा संविदात्मक दायित्वों के पालन के अधीन, एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण एवं विस्तार किया जाएगा)।
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर पक्षकारों के डाउनलोड हेतु निविदा आमंत्रण सूचना (संपूर्ण निविदा सहित) उपलब्ध होने की तिथि	06 जुलाई 2026
6	https://etenders.gov.in/eprocure/app पर भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) एवं भाग-II (मूल्य बोली) प्रस्तुत करने हेतु ई-निविदा की आरंभिक तिथि	06 जुलाई 2026 को अपराह्न 03:00 बजे
7	भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची में पूर्व-बोली बैठक (ऑफ़लाइन) की तिथि	14 जुलाई 2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे
8	बयाना जमा-राशि	*₹ 18,000.00 लाभार्थी का नाम : भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची IFSC : RBISORNP01 (IFSC का पाँचवाँ एवं दसवाँ वर्ण शून्य है) खाता सं.: 186003001 * (यथालागू छूट)

क्र.सं.	गतिविधि	संभावित तिथि
9	बयाना जमा-राशि प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	27 जुलाई 2026 को पूर्वाह्न 10:00 बजे तक (हमारे खाते में परिलक्षित होनी चाहिए)
10	तकनीकी बोली एवं मूल्य बोली प्रस्तुत करने हेतु ई-निविदा की समापन तिथि	27 जुलाई 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक
11	क. भाग-I (तकनीकी बोली) खोले जाने की तिथि एवं समय ख. भाग-II (मूल्य बोली) खोले जाने की तिथि	क. 28 जुलाई 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे ख. निविदा का भाग-II केवल उन्हीं बोलीदाताओं के लिए खोला जाएगा जिन्हें भाग-I में प्रस्तुत की गई सामग्री की जाँच के उपरान्त पात्र पाया जाएगा। पात्र बोलीदाताओं को ईमेल के माध्यम से अलग से सूचित किया जाएगा।

बैंक न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और वह किसी भी निविदा को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी अपने पास सुरक्षित रखता है।

टिप्पणी: सभी निविदाकार कृपया ध्यान दें कि निविदा में भविष्य में जारी किए जाने वाले किसी भी परिशिष्ट / शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, की सूचना केवल बैंक की वेबसाइट पर ही दी जाएगी।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
राँची

ई-निविदा हेतु महत्वपूर्ण अनुदेश

यह भारतीय रिज़र्व बैंक का ई-अधिप्राप्ति आयोजन है। ई-अधिप्राप्ति सेवा प्रदाता / संविदाकार केंद्रीय सार्वजनिक अधिप्राप्ति पोर्टल (सीपीपीपी) है— <https://etenders.gov.in/eprocure/app>

ई-निविदा की प्रक्रिया : बोलीदाता मैनुअल किट होम पेज पर उपलब्ध है।

नए बोलीदाता का पंजीकरण : इस प्रक्रिया में विक्रेता का सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण सम्मिलित है, जो निःशुल्क है। पंजीकरण के उपरान्त ही विक्रेता अपनी बोली इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकेगा/सकेंगे। तकनीकी बोली एवं मूल्य बोली प्रस्तुत करने हेतु इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक बोली-प्रक्रिया अपनाई जाएगी। विक्रेता के पास वर्ग-III (Class III) हस्ताक्षर एवं कूटलेखन प्रकार का डिजिटल प्रमाण-पत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट-युक्त पीसी से बोली लगाने की स्वयं व्यवस्था करनी होगी। ऐसी व्यवस्था करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक उत्तरदायी नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियाँ अभिलेखित नहीं की जाएँगी)।

<https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page>

किसी भी तकनीकी संबंधित प्रश्न हेतु कृपया 24 x 7 सहायता डेस्क संख्या पर कॉल करें :

0120-4001 002

0120-4001 005

0120- 4493395

अंतरराष्ट्रीय बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे कंट्री कोड के रूप में +91 पूर्व-सर्ग के रूप में लगाएँ।

ईमेल सहायता :

प्रकाशित निविदाओं से संबंधित किसी भी मुद्दे या स्पष्टीकरण हेतु बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे संबंधित निविदा-आमंत्रण प्राधिकारी से संपर्क करें।

तकनीकी – support-eproc@nic.in

नीति संबंधित – cphp-doe@nic.in

भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची में संपर्क व्यक्ति

क्र.सं.	संपर्क व्यक्ति	ईमेल	मोबाइल
1	श्री बसंत पॉल मिंज, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची	basantminj@rbi.org.in	9167494362
2	श्री नितिन गौरव, प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची	nitingaurav@rbi.org.in	9455143206
3	श्री अमित कुमार, सहायक प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची	amitkumar4@rbi.org.in	8405908938

आपसे अनुरोध है कि अपनी ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना और यदि कोई हो तो उसके पश्चातवर्ती शुद्धिपत्रों को पढ़कर समझ लें।

प्रणाली संबंधी अपेक्षाएँ:

ऑपरेटिंग सिस्टम	Window 7 and above, BOSS Linux
जावा	Java 8 Update 161 (Recommended version - available under Downloads section)
ब्राउज़र	Firefox Google Chrome Microsoft Edge
डिजिटल हस्ताक्षर	Class 3 - Signature Certificate Class 3 - Encipherment certificate
इंटरनेट कनेक्टिविटी	Dedicated Internet Broadband Connection with minimum 1 MBPS speed and above
अन्य	MS Office, WinRAR, DSC Drivers, PDF Reader/Creator

विस्तृत जानकारी हेतु विक्रेता **बोलीदाता मैनुअल किट** का संदर्भ ले सकते हैं, जो **होम पेज पर उपलब्ध** है।

<https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page>

विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना है कि सीपीपी पोर्टल पर विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध एवं अद्यतन हो। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने वर्ग-III (Class III) हस्ताक्षर एवं कूटलेखन प्रकार के डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) में उल्लिखित नियत तिथि एवं समय के उपरांत ई-निविदा तक पहुँच नहीं की जा सकेगी।

ई-निविदा में बोली लगाना:

क) सभी बोलीदाताओं द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची के पक्ष में ₹18,000/- की बयाना जमा-राशि एनईएफ़टी के माध्यम से बैंक में जमा की जाएगी।

एनईएफ़टी लेन-देन हेतु खाते का विवरण निम्नानुसार है :

लाभार्थी का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची

IFSC: RBIS0RNPA01 (IFSC का पाँचवाँ एवं दसवाँ वर्ण शून्य है)

खाता सं.: 186003001

प्रेषण का प्रमाण लेन-देन संख्या सहित (स्कैन प्रति) संलग्न/अपलोड किया जाएगा (यथालागू छूट)। जिस निविदा के साथ ऐसी बयाना जमा-राशि नहीं होगी, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। बयाना जमा-राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल विक्रेता(ओं) की बयाना जमा-राशि यथासमय निविदा आमंत्रण प्राधिकारी द्वारा वापस लौटा दी जाएगी।

ख) इस प्रक्रिया में तकनीकी एवं मूल्य बोली प्रस्तुत करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक बोली-प्रक्रिया सम्मिलित है।

ग) सभी परिस्थितियों में विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी स्वयं की आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग करें।

घ) संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान विक्रेता आपस में तथा अन्य सभी लोगों के प्रति पूर्णतः गुमनाम बने रहेंगे।

ङ) ई-निविदा प्लेटफ़ॉर्म पूर्व-घोषित तिथि एवं समय से तथा उपर्युक्त उल्लिखित पूरी अवधि तक खुला रहेगा।

च) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ विक्रेता पर विधिक रूप से आबद्धकर होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा प्रस्तुत वैध बोली माना जाएगा तथा क्रेता द्वारा उसकी स्वीकृति क्रेता एवं विक्रेता के बीच कार्य के निष्पादन हेतु आबद्धकर निविदा का रूप ले लेगी।

छ) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियाँ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएँ, अन्यथा प्रणाली द्वारा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ज) क्रेता, यथास्थिति, निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताए रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने अथवा विस्तार देने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

निविदा दस्तावेज़ की निबंधन एवं शर्तों में कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है।

किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा प्लेटफ़ॉर्म पर बोली प्रस्तुत करने का अर्थ है कि उसने निविदा की निबंधन एवं शर्तें स्वीकार कर ली हैं।

इस निविदा से उत्पन्न किसी भी आदेश को उसमें उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों द्वारा शासित किया जाएगा।

निविदा आमंत्रण प्राधिकारी को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द कर सकता है अथवा बोली(यों) की प्राप्ति की नियत तिथि को विस्तारित कर सकता है।

प्रस्ताव-पत्र

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

प्रथम तल, ज़िला परिषद भवन,

कचहरी चौक, राँची (झारखंड)

महोदया / महोदय,

इसके साथ यहाँ आगे विनिर्दिष्ट ज्ञापन में उल्लिखित कार्यों से संबंधित विनिर्देशों एवं आवश्यकताओं का परीक्षण करने के उपरांत तथा उक्त अनुज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा कर उसका परीक्षण करने और निविदा को प्रभावित करने वाली अपेक्षित सूचना अर्जित कर लेने के उपरांत, हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों को उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर, संलग्न परिमाण-अनुसूची में उल्लिखित दरों पर तथा सभी दृष्टियों से निविदा की शर्तों, करार की शर्तों, विशेष शर्तों, परिमाण-अनुसूची एवं संविदा की शर्तों में निर्दिष्ट विनिर्देशों एवं आवश्यकताओं के अनुसार, तथा उनमें उपबंधित सामग्रियों से एवं ऐसी अन्य सभी दृष्टियों से, जहाँ तक वे लागू हों, प्रदाय करने एवं निष्पादित करने का प्रस्ताव करते हैं।

अनुज्ञापन

(क)	कार्य का नाम	राँची, झारखंड में विभिन्न स्थानों पर स्थित पट्टे पर लिए गए फ्लैटों की साप्ताहिक बाथरूम सफाई एवं त्रैमासिक गहन सफाई।
(ख)	कार्य की अनुमानित लागत	
(ग)	बयाना जमा-राशि (EMD)	

2. यदि यह निविदा स्वीकार की जाती है, तो मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि, जहाँ तक वे लागू हों, इसके साथ संलग्न उक्त संविदा की शर्तों की निबंधन एवं उपबंधों का पालन करूँगा/करेंगे तथा उन्हें पूर्ण करूँगा/करेंगे।

3. हमारे बैंकर हैं :

i) _____

ii) _____

4. हमारी फर्म के मालिक/भागीदारों के नाम इस प्रकार हैं :

i) _____

ii) _____

फर्म के भागीदार का नाम

हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत। _____

अथवा

संविदा पर हस्ताक्षर करने हेतु मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्ति का नाम (मुख्तारनामे की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए)। _____

भवदीय, _____

संविदाकार के हस्ताक्षर।

[टिप्पणी : यदि पक्ष एकल स्वामित्व फर्म अथवा एक व्यक्ति है तो इस पर मालिक अथवा उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यदि पक्ष एक भागीदारी फर्म है तो सभी भागीदारों द्वारा अथवा सभी भागीदारों की ओर से इस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यदि पक्ष एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म / निगमित कंपनी है तो फर्म के निदेशक-मंडल द्वारा _____ को आयोजित बैठक में पारित संकल्पों के अनुसरण में फर्म की सार्वमुद्रा चिपकाई जानी चाहिए (संकल्प की प्रति संलग्न की जानी चाहिए)। यदि संविदाकार सामान्य मुहर के अंतर्गत हस्ताक्षर करता है, तो हस्ताक्षर खंड संगम-अंतर्नियमों के मुहर-उपबंध से मेल खाना चाहिए।]

साक्षी :

1) _____ (हस्ताक्षर)

पता _____

कार्य का परिक्षेत्र:

नीचे विस्तार से दी गई सेवाओं का प्रदाय करना अपेक्षित होगा :-

(i) शौचालय / बाथरूम की साप्ताहिक सफाई :

- खिड़की के शीशों की झाड़-पोंछ / सफाई, एग़ाँस्ट पंखों, फ्लश टैंक / सिस्टर्न, वॉश बेसिन, दर्पणों, रैक आदि की सफाई।
- झाड़ू लगाना और मकड़ी के जालों को हटाना।
- ब्रांडेड शौचालय/बाथरूम क्लीनर का प्रयोग करते हुए टाइल्स, सीट, यूरिनल पॉट, सिंक, वॉश बेसिन, प्लेटफ़ॉर्म, शौचालय पॉट की गीली सफाई (सफाई सामग्री बैंक द्वारा आपूर्ति की जाती है)।
- साथ ही खिड़की के शीशों, काँच के दर्पणों, रैक आदि का पोंछा।

(ii) अधिकारियों / कर्मचारियों के प्रत्येक अध्यासित / खाली फ्लैट की त्रैमासिक गहन सफाई :

- मकड़ी के जालों की सफाई।
- रसोई, बाथरूम, शौचालय, बालकनी आदि सहित सभी कमरों की सफाई।
- शौचालय/बाथरूम सहित सभी कमरों एवं बालकनी की खिड़कियों, खिड़की के शीशों, ग्रिलों, दरवाज़ों, वेंटिलेटर्स, मच्छरदानी जालियों आदि की झाड़-पोंछ।
- सफाई के अंतर्गत फ़र्श, दीवार डेडो, नल-सिवरेज एवं स्वच्छता संबंधी फ़िटिंग एवं फ़िक्सचर, चमकीले वेंटिलेटर्स, दीवारों, छत, पंखों, बत्तियों की झाड़-पोंछ, बाथरूम/शौचालय में उपलब्ध कराई गई सहायक सामग्रियों जैसे दर्पण, बाल्टी/मग/साबुनदानी आदि भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी – आज की तिथि तक, फ्लैटों की कुल संख्या 43 है। तथापि, बैंक की आवश्यकता के अनुसार भविष्य में फ्लैटों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी हो सकती है।

अनुबंध - I

प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हेतु मुख्तारनामे का प्रारूप

(यथोचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

इन उपस्थितियों के माध्यम से यह सभी लोगों को ज्ञात हो कि हम, (बोलीदाता का नाम एवं उसके पंजीकृत कार्यालय का पता) एतद्वारा श्री / सुश्री (मुख्तारनामा-धारक का नाम एवं आवासीय पता) को, जो वर्तमान में हमारे यहाँ नियोजित हैं और पद पर कार्यरत हैं, अपने मुख्तार के रूप में गठित, नियुक्त एवं प्राधिकृत करते हैं कि वे हमारे नाम पर एवं हमारी ओर से "कार्य का नाम" हेतु हमारी बोली से संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक सभी अपेक्षित कार्य एवं प्रक्रियाएँ करें, जिनमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर एवं उनकी प्रस्तुति, पूर्व-बोली बैठक में व्यक्तियों को नियुक्त करना, भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचना / प्रत्युत्तर प्रदान करना, भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना तथा सामान्यतया उक्त कार्य हेतु हमारे प्रस्ताव से संबंधित सभी मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ व्यवहार करना सम्मिलित हैं।

हम एतद्वारा सहमत हैं कि इस मुख्तारनामे के अनुसरण में हमारे उक्त मुख्तार द्वारा किए गए सभी विधिसम्मत कार्यों एवं प्रक्रियाओं का समर्थन करेंगे और हमारे उक्त मुख्तार द्वारा किए गए सभी कार्य एवं प्रक्रियाएँ सदैव हमारे द्वारा किए गए माने जाएँगे।

टिप्पणी :

मुख्तारनामे पर उचित रूप से स्टाम्प लगाया जाना चाहिए, और प्रदत्त नोटरीकृत मुख्तारनामा अप्रतिसंहरणीय होगा।

बोलीदाता के नाम / हस्ताक्षर

बोलीदाता की मुहर / सील

(टिप्पणी : इस गारंटी के लिए उस राज्य में यथालागू स्टाम्प शुल्क अपेक्षित होगा, जहाँ यह निष्पादित किया गया है और उस अधिकारी द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाएँगे जिनके हस्ताक्षर एवं प्राधिकार का सत्यापन किया जाएगा।)

अनुबंध - II

बोलीदाताओं का विवरण

फर्म का ब्यौरा -

क्र.सं.	विवरण	बोलीदाता द्वारा भरा जाएगा
1	एकल स्वामित्व फर्म, भागीदारी फर्म अथवा कंपनी	
2	फर्म के मालिक / भागीदारों / निदेशकों के नाम	
3	प्रबंध भागीदार, प्रबंध निदेशक, मुख्तारनामा-धारक इत्यादि का नाम	
4	फर्म का पता	
5	टेलीफ़ोन / मोबाइल	
	ईमेल	
	फ़ैक्स	

अनुबंध - III

फर्म के बैंकर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	बोलीदाता द्वारा भरा जाएगा
1	बैंक का नाम	
2	शाखा का पता	
3	IFSC कोड (रद्द किया गया चेक संलग्न किया जा सकता है)	
4	टेलीफोन एवं फ़ैक्स संख्या	
5	संपर्क व्यक्ति का नाम	
6	फर्म द्वारा बैंक से लिया गया ऋण सुविधा / ओवरड्राफ्ट सुविधा की राशि	
7	जिस अवधि से फर्म का बैंक के साथ बैंकिंग व्यवहार है	
8	बैंक खाता संख्या	
9	खाते का प्रकार	
10	खाताधारक का पूरा नाम	
11	स्थायी लेखा संख्या (पैन)	
12	जीएसटी संख्या	

मैं / हम एतद्वारा सहमत हैं तथा इसकी पुष्टि करते हैं कि कर्मचारियों का वेतन एनईएफ़टी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में संवितरित करेंगे तथा यह भी स्वीकार करते हैं कि यदि उक्त कार्य हमारी फर्म / कंपनी को प्रदान किया जाता है, तो उसका भुगतान भी एनईएफ़टी के माध्यम से प्राप्त करेंगे।

बोलीदाता के मुहर / तिथि सहित हस्ताक्षर

निबंधन एवं शर्तें :

ये उपबंध संविदा का हिस्सा हैं तथा इन शीटों पर तिथि सहित विधिवत हस्ताक्षर करके इन्हें अनिवार्य रूप से लौटाया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर बोली स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

1. बोली केवल Central Public Procurement (CPP) पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।
2. बोली भाग-1 खोले जाने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए वैध रहेगा। दरें कार्य पूर्ण होने तक स्थिर रहेंगी तथा किसी भी आधार पर वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. दरें सभी संगत करें, परिवहन प्रभारों इत्यादि तथा कार्य पूर्ण करने हेतु अपेक्षित सभी सहायक सामग्रियों को सम्मिलित करते हुए होंगी। किसी भी कारण से कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
4. बैंक न्यूनतम अथवा किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए स्वयं को आबद्ध नहीं करता है।
5. संविदाकार अपना फ़ोन / मोबाइल नंबर बैंक को उपलब्ध कराएगा जिस पर वह चौबीसों घंटे उपलब्ध हो तथा आपात-स्थिति में 24 x 7 घंटे संपर्क योग्य हो।
6. संविदाकार, कार्य पर नियुक्त व्यक्ति की पासपोर्ट आकार की फ़ोटो सहित उसका बायोडेटा प्रस्तुत करेगा। नियमित कर्मचारी की अनुपस्थिति की स्थिति में, संविदाकार बैंक को पूर्व सूचना देकर सफाई कार्य करने के लिए वैकल्पिक व्यक्ति को प्राधिकृत करेगा। संविदाकार इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
7. यदि अधिवासी द्वारा सफाई के लिए अनिच्छा जताई जाती है, तो फर्म को विधिवत हस्ताक्षरित कार्य रिपोर्ट शीट पर उसकी स्वीकृति लेनी होगी कि वह सफाई के लिए इच्छुक नहीं है, जिसका सत्यापन दावा किए गए बीजक के भुगतान से पूर्व किया जाएगा। भुगतान वास्तव में साफ़ किए गए फ्लैटों एवं बाथरूमों के लिए किया जाएगा।
8. बिल तैयार करना फ्लैटों / इकाइयों की कुल संख्या के अनुसार न होकर वास्तविक रूप से किए गए कार्य के आधार पर होगा।
9. फ्लैटों की वास्तविक संख्या भिन्न हो सकती है और भुगतान वास्तविक के अनुसार किया जाएगा।
10. विक्रेता अपने पेट्रोल पर श्रमिकों की कुल संख्या प्रस्तुत करेगा।

11. कार्य के निष्पादन के दौरान, संपत्ति को होने वाली किसी भी क्षति की मरम्मत संविदाकारों द्वारा बैंक के निर्देशानुसार की जानी है, अन्यथा बैंक संविदाकारों की जोखिम एवं लागत पर उसकी मरम्मत करा सकता है।
12. कार्य बैंक के संलग्न विनिर्देशों तथा संविदा की शर्तों के अनुसार किया जाएगा, जो बोली दस्तावेजों में उपबंधित हैं।
13. सफाई कार्य सामान्यतया प्रत्येक शनिवार / रविवार को अथवा फ्लैट के अधिवासी के निर्देशानुसार किया जाएगा।

14. पात्रता मानदंड :

i. **पात्र निकाय:** बोलीदाता विधिक रूप से मान्यता प्राप्त व्यावसायिक निकाय हो, अर्थात एकल स्वामित्व फर्म, भागीदारी फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी (LLP) फर्म, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी। पंजीकरण / निगमन का यथालागू आवश्यक प्रमाणीकरण की प्रमाणित प्रति एवं अन्य विवरण जैसे जीएसटी पंजीकरण संख्या, पैन संख्या तथा कर्मचारी भविष्य-निधि पंजीकरण, कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC) प्रस्तुत करें।

ii. **कार्य अनुभव :** अनुभव का विवरण प्रस्तुत किया जाना है –

क. हवाई अड्डों, रक्षा प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, दूतावासों, सार्वजनिक / निजी क्षेत्र के बैंकों, आईटी क्षेत्र तथा अन्य प्रतिष्ठित बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों में समान कार्यों का न्यूनतम तीन (03) वर्ष का अनुभव (31 मार्च, 2026 तक)। आवेदकों को अपनी ग्राहक सूची तथा गत तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य के विवरण दर्शाने वाला दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

iii. **प्रत्येक पूर्ण किए गए कार्य का न्यूनतम मूल्य** – संविदा की अनुमानित लागत लगभग ₹ 9,00,000/- (₹ नौ लाख मात्र) है। अभिकरण को 31 जनवरी, 2026 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के दौरान समान कार्यों (हाउसकीपिंग प्रदान करने) को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के अनुभव का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित है, जो निम्नानुसार होगा (कार्यादेशों की प्रतियाँ प्रस्तुत करें) :

- तीन समान कार्य (हाउसकीपिंग / सफाई सेवाएँ प्रदान करते हुए), प्रत्येक की लागत ₹ 3,60,000/- (₹ तीन लाख साठ हजार मात्र) से कम न हो।

अथवा

- दो समान कार्य (हाउसकीपिंग / सफाई सेवाएँ प्रदान करते हुए), प्रत्येक की लागत ₹ 4,50,000/- (₹ चार लाख पचास हजार मात्र) से कम न हो।

अथवा

- एक समान कार्य (हाउसकीपिंग / सफाई सेवाएँ प्रदान करते हुए), जिसकी लागत ₹ 7,20,000/- (₹ सात लाख बीस हजार मात्र) से कम न हो।

संतोषजनक पूर्णता / निष्पादन हेतु ग्राहक रिपोर्ट को दस्तावेज़ी प्रमाण के रूप में अपलोड किया जाए (स्कैन प्रति पीडीएफ प्रारूप में)। तदनुसार कार्यादेश प्रस्तुत करें।

15. **वार्षिक आवर्त एवं आयकर विवरणी :** गत 3 वर्षों के दौरान अर्थात् 31 मार्च, 2025 तक हाउसकीपिंग सेवाओं के प्रदाय से न्यूनतम ₹ 9,00,000/- (₹ नौ लाख मात्र) के बराबर वार्षिक आवर्त होना चाहिए। वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 एवं वित्त वर्ष 2024-25 हेतु आवर्त निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण-पत्र, जो कार्यरत सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित हो तथा प्रमाण-पत्र पर विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (UDIN) अंकित हो। गत तीन वर्षों अर्थात् 31 मार्च, 2025 तक (वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 एवं वित्त वर्ष 2024-25) की आयकर विवरणी प्रस्तुत करें।
16. **पंजीकरण :** अभिकरण को यथालागू निम्नलिखित पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी चाहिए :
- (क) निविदाकार समुचित सरकारी प्राधिकारी के पास पंजीकृत होना चाहिए तथा एक सुस्थापित संगठन होना चाहिए।
- (ख) निविदाकार के पास वैध श्रम अनुज्ञप्ति होनी चाहिए।
- (ग) कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) निगम से प्रमाण-पत्र (नवीनतम)।
- (घ) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य-निधि संगठन से प्रमाण-पत्र (नवीनतम)।
- (ङ) सेवा कर / जीएसटी पंजीकरण हेतु पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
- (च) **साख-प्रमाण-पत्र:** कार्य के प्रयोजन हेतु विशेष रूप से अपने बैंकर से ₹ नौ लाख मात्र (₹ 9,00,000/-) की राशि हेतु साख-प्रमाण-पत्र।
17. **कार्यालय का स्थान :** अभिकरण का राँची में एक कार्यालय (पंजीकृत / कॉर्पोरेट / शाखा / क्षेत्रीय / ज़ोनल / प्रतिनिधि) होना चाहिए। (पते के प्रमाण की स्कैन प्रतियाँ अपलोड की जानी हैं।)
18. **परिसमापन हर्जाना एवं तात्कालिक समाप्ति :** यदि करार की किसी एक अथवा अधिक शर्तों का उल्लंघन हो और/अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ संतोषजनक न पाई जाएँ (मानव-शक्ति का अनुरक्षण न करना, ड्यूटी पर सतर्क न पाया जाना, अनुशासनहीनता, अनुचित वर्दी / रूप-रंग तथा सांविधिक अपेक्षाओं का पालन न करना इत्यादि), तो करार की किसी भी अवधि के दौरान, कुल मासिक बिल की (अधिकतम) 10% राशि एक महीने के लिए परिसमापन हर्जाने के रूप में काट ली जाएगी और यदि निष्पादन बाद के किसी माह में भी असंतोषजनक बना रहता है, तो असंतोषजनक सेवा की गंभीरता के आधार पर अभिकरण की सेवाओं को सात दिनों की संक्षिप्त सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है। किस प्रकार की सेवा-न्यूनता के लिए दंड लगाया जा सकता है, अथवा संविदा को रद्द / समाप्त किया जाएगा, यह पूर्णतः बैंक के विवेकाधिकार पर निर्णय लिया जाएगा। दंडात्मक कार्रवाई में अभिकरण को बैंक की भावी निविदाओं में भाग लेने से अयोग्य ठहराया जाना भी सम्मिलित हो सकता है।

टिप्पणी : सौंपे गए कार्य की उप-संविदा की अनुमति नहीं है।

19. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण

- क) संविदाकार "कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के उपबंधों का पूर्णतया अनुपालन करने के लिए एकमात्र उत्तरदायी होगा। बैंक के परिसर के भीतर उसके कर्मचारी के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत की स्थिति में, शिकायत संविदाकार / अभिकरण द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी तथा संविदाकार / अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत समुचित कार्रवाई की जाए।

- ख) संविदाकार के किसी पीड़ित कर्मचारी की नियोक्ता के किसी कर्मचारी के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की कोई शिकायत नियोक्ता द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान में ली जाएगी।
- ग) संविदाकार, संदाय की जाने वाली किसी भी मौद्रिक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा, यदि घटना में संविदाकार के कर्मचारी / कामगार सम्मिलित हों, उदाहरणार्थ नियोक्ता के कर्मचारी को किसी भी प्रकार का मौद्रिक अनुतोष, यदि संविदाकार के कर्मचारी / कामगार द्वारा लैंगिक हिंसा सिद्ध हो जाती है।
- घ) संविदाकार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण एवं इससे संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- ङ) संविदाकार, नियोक्ता के परिसर के भीतर नियुक्त अपने कर्मचारियों की एक पूर्ण एवं अद्यतन सूची प्रदान करेगा।

20. विवाद-समाधान

- 20.1 यह विधिवत नोट किया जाए कि इस निविदा की निबंधन एवं शर्तों के संबंध में किसी भी / सभी विवादों की स्थिति में, निविदा दस्तावेज़ का अंग्रेज़ी संस्करण ही प्रभावी रहेगा (यदि निविदा अंग्रेज़ी तथा किसी अन्य भाषा में एक साथ जारी की गई हो)।
- 20.2 इस संविदा से उत्पन्न होने वाला या इससे संबंधित कोई भी विवाद और/अथवा मतभेद, संबंधित पक्षों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के संयुक्त विचार-विमर्श के माध्यम से हल किया जाएगा। तथापि, यदि विवाद संयुक्त विचार-विमर्श के माध्यम से हल नहीं होते हैं, तो मामले को एकमात्र मध्यस्थ को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिनकी नियुक्ति क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची द्वारा की जाएगी। एकमात्र मध्यस्थ का लिखित रूप में पंचाट / निर्णय सभी पक्षों पर अंतिम एवं आबद्धकर होगा। मध्यस्थ की कार्यवाहियाँ माध्यस्थ और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा शासित होंगी।
- 20.3 इस निविदा से संबंधित सभी मामले केवल राँची स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।
- 21 बयाना जमा-राशि (EMD) :** संविदाकार ₹ 18,000/- की बयाना जमा-राशि (EMD) एनईएफ़टी के माध्यम से जमा करेगा, [एनईएफ़टी का विवरण : लाभार्थी का नाम – "भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची"; IFSC कोड : RBISORNPA01 (बाएँ से 5वें एवं 10वें स्थान पर शून्य); खाता सं. 186003001], जिस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्रेषण का प्रमाण लेन-देन संख्या सहित (स्कैन प्रति) निविदा दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। बैंक, संपूर्ण संविदा अवधि के लिए सफल संविदाकार की उतनी ही राशि अपने पास रोक कर रखेगा।
22. यथालागू आयकर एवं अन्य कर काटे जाएँगे।
- 23. भुगतान की शर्तें :** भुगतान कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने पर कार्यस्थल पर मापे गए वास्तविक कार्य के आधार पर अथवा कार्य के निष्पादन के दौरान लेखा के आधार पर, जैसा भी बैंक द्वारा उचित समझा जाए, किया जाएगा।
24. खंड 1 एवं 2 में दिए गए अनुदेशों में से किसी का पालन न करने पर बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
- 25. बीमा :** सफल संविदाकार को इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए कर्मचारी प्रतिकर बीमा लेना चाहिए।

26. संविदाकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में उल्लिखित सभी अपेक्षाओं का पालन करेगा तथा उन्हें पूर्ण करेगा।
27. संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित सभी कर्मचारियों / कामगार कार्मिकों को **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम** के अनुपालन में न्यूनतम मजदूरी + परिवर्तनीय महँगाई भत्ता (VDA) का भुगतान किया जाए।
28. संविदाकार, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा यथा-अपेक्षित सभी रजिस्ट्रों का अनुरक्षण करेगा तथा जब भी अपेक्षित हो, बैंक अथवा उसके प्रतिनिधि को उन्हें प्रस्तुत करेगा।
29. यदि कार्यदिश जारी करने की तिथि से 10 दिनों के भीतर कार्य आरंभ नहीं किया जाता है, तो बैंक बिना कोई कारण बताए कार्यदिश को समाप्त कर सकता है। यदि कार्य के निष्पादन के दौरान, कार्य की प्रगति संतोषजनक न मानी जाए तथा वह कार्य पूर्ण करने की अवधि के अनुरूप न हो, तो बैंक अंतिम सूचना देकर कार्यदिश को समाप्त कर सकता है।

भा.रि.बैं., राँची द्वारा पट्टे पर लिए गए फ्लैटों की सफाई

करार की शर्तों का प्रारूप

यह सेवा संविदा राँची में _____ को _____, जिन्हें इसके पश्चात संविदाकार कहा जाएगा, जिस पद में इनके उत्तराधिकारी सम्मिलित हैं, तथा जिनका आवास _____ में है, और भारतीय रिज़र्व बैंक, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत स्थापित एक निगम है, जिसे इसके पश्चात बैंक कहा जाएगा, जिस पद में इसके उत्तराधिकारी एवं समनुदेशिनी सम्मिलित हैं, तथा जो अपने विधिवत प्राधिकृत अधिकारी _____ के माध्यम से कार्य कर रहा है — के बीच किया गया।

दोनों पक्ष एतद्वारा सहमत हैं कि वे निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों से आबद्ध होंगे :-

1. संविदा की प्रारंभिक अवधि 01 अगस्त, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक होगी तथा अभिकरण द्वारा संतोषजनक निष्पादन एवं संविदात्मक दायित्वों के पालन के अधीन, इसे एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष की अवधि हेतु विस्तारित किया जाएगा।
2. बैंक कोई भी शिकायत मोबाइल सं. _____ पर दर्ज करेगा। पते अथवा मोबाइल संख्या में किसी भी परिवर्तन की सूचना संविदाकार द्वारा बैंक को पहले से दी जाएगी। टेलीफोन / ईमेल / पत्र के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों पर, शिकायत दर्ज होने के 24 घंटों के भीतर ध्यान दिया जाना है।
3. रिलीज़ / उपहार-दान की स्थिति में यह संविदा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरणीय नहीं होगी तथा कोई भी प्रतिदाय नहीं दिया जाएगा।
4. सभी विवाद राँची के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।
5. संविदाकार सभी नियोजित श्रमिकों को उस दर पर मजदूरी का भुगतान करेगा जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित दर से कम न हो, तथा ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, और उन कर्मचारियों को दी जाने वाली मजदूरी का भुगतान न करने अथवा उक्त अधिनियम का अनुपालन न करने के कारण सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा बैंक के विरुद्ध की जा सकने वाली सभी कार्रवाइयों से बैंक को क्षतिपूरित रखेगा।
6. संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार अथवा इसके निष्पादन के संबंध में उसके अधिकार अथवा जानकारी में आई हुई अथवा आने वाली सभी सामग्री एवं सूचना — चाहे उनमें गोपनीय एवं स्वामित्वाधीन आँकड़े सम्मिलित हों अथवा नहीं — जिनका तीसरे पक्षों को प्रकटन अथवा उनके द्वारा उपयोग बैंक के लिए क्षतिकर हो अथवा बैंक को हानि पहुँचा सकता हो, उन्हें वह सदैव अत्यंत गोपनीय रखेगा तथा इस करार में वर्णित अपने दायित्वों के निष्पादन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन हेतु उनका उपयोग नहीं करेगा, तथा उन्हें केवल उन्हीं कर्मचारियों को प्रकट करेगा जिन्हें इसमें वर्णित दायित्वों के निष्पादन के प्रयोजन हेतु ऐसी जानकारी अपेक्षित हो, तथा किसी अन्य पक्ष को नहीं। संविदाकार अपने कर्मचारियों के संबंध में समुचित कार्रवाई करने के लिए सहमत है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस करार के अंतर्गत गोपनीय जानकारी के अप्रकटन संबंधी दायित्व पूर्ण रूप से पूरे हों।
7. यह संविदा किसी भी पक्ष द्वारा 30 दिनों का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। किसी भी कारण से संविदा की समाप्ति की स्थिति में, संविदाकार, उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति अथवा उसके अभिकर्ता, प्रतिकर, हर्जाना अथवा अन्यथा किसी भी रूप में बैंक से कोई भी रकम प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
8. संविदाकार को सभी पट्टे-प्राप्त फ्लैटों में साप्ताहिक रूप से बाथरूमों की सफाई तथा त्रैमासिक रूप से पंखों, खिड़कियों, रसोई स्लैब आदि की गहन सफाई सुनिश्चित करनी होगी। इस कार्य हेतु संविदाकार को प्रति फ्लैट, बाथरूमों की साप्ताहिक सफाई हेतु ₹ ____/- तथा त्रैमासिक गहन सफाई हेतु ₹ ____ की दर से

भुगतान संविदाकार के बैंक खाते में एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा। उल्लिखित राशि के अतिरिक्त कोई अन्य भुगतान, यथा वहन-व्यय इत्यादि, नहीं किया जाएगा। देय राशि सभी करों से पृथक होगी।

9. संविदाकार द्वारा किए जाने वाले कार्य (कृपया निविदा के परिक्षेत्र का संदर्भ लें) :-

(i) बाथरूम की सफाई (साप्ताहिक) :-

- खिड़की के शीशों की झाड़-पोंछा / सफाई, एग़ॉस्ट पंखों, फ्लश टैंक / सिस्टर्न, वॉश बेसिन, दर्पणों, रैक आदि की सफाई।
- झाड़ू लगाना और मकड़ी के जालों को हटाना।
- ब्रांडेड शौचालय क्लीनर का प्रयोग करते हुए टाइल्स, सीट, यूरिनल पॉट, सिंक, वॉश बेसिन, प्लेटफ़ॉर्म, शौचालय पॉट की गीली सफाई (सफाई सामग्री बैंक द्वारा आपूर्ति की जाती है)।
- साथ ही खिड़की के शीशों, काँच के दर्पणों, रैक आदि का पोंछा।

(ii) गहन सफाई (त्रैमासिक) :-

- मकड़ी के जालों की सफाई।
- रसोई, बाथरूम, शौचालय, बालकनी आदि सहित सभी कमरों की सफाई।
- शौचालय / बाथरूम सहित सभी कमरों एवं बालकनी की खिड़कियों, खिड़की के शीशों, ग्रिलों, दरवाज़ों, वेंटिलेटर्स, मच्छरदानी जालियों आदि की झाड़-पोंछ।
- सफाई के अंतर्गत फ़र्श, दीवार डेडो, नल-सिवरेज एवं स्वच्छता संबंधी फ़िटिंग एवं फ़िक्सचर, चमकीले वेंटिलेटर्स, दीवारों, छत, पंखों, बत्तियों की झाड़-पोंछ, बाथरूम / शौचालय में उपलब्ध कराई गई सहायक सामग्रियों जैसे दर्पण, बाल्टी / मग / साबुनदानी आदि की सफाई भी सम्मिलित है।

10. बाथरूम की सफाई हेतु संबंधित व्यक्ति को प्रत्येक शनिवार / रविवार को अथवा निर्देशों के अनुसार पट्टे-प्राप्त फ्लैटों में जाना होगा। सफाई सामग्री बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
11. प्रत्येक पट्टे-प्राप्त फ्लैट में सफाई (बाथरूम की सफाई / गहन सफाई) का कार्य पूर्ण होने के पश्चात, संविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप पर स्टाफ-सदस्य / गृह-सदस्य के हस्ताक्षर प्राप्त करे।
12. कोई भी पक्ष, किसी भी प्रचार-विज्ञप्ति अथवा विज्ञापन-सामग्री में, अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन हेतु दूसरे पक्ष के किसी भी नाम, चिह्न अथवा प्रतीक का उपयोग नहीं करेगा; और न ही दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना — जो अकारण न रोकी जाएगी — इस करार से संबंधित किसी भी जानकारी को सार्वजनिक करेगा।
13. बैंक, तैनात की गई किसी भी श्रमिक की मृत्यु, चोट अथवा दुर्घटना, जो उनकी ड्यूटी एवं नियोजन के दौरान अथवा उसके परिणाम-स्वरूप हो सकती है, हेतु किसी भी प्रतिकर के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यह सहमति एवं समझ है कि तैनात किए गए व्यक्तियों को इस प्रकार का हर्जाना अथवा प्रतिकर देने के लिए अकेला संविदाकार ही उत्तरदायी होगा।
14. संविदाकार, "कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पालन करेगा। बैंक परिसर के भीतर उसके किसी कर्मचारी के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत संविदाकार द्वारा गठित 'आंतरिक शिकायत समिति' के समक्ष दर्ज की जाएगी, तथा संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायत के संबंध में उक्त

अधिनियम के अंतर्गत समुचित कार्रवाई की जाए। संविदाकार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की ओर से बैंक के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित 'क्षेत्रीय शिकायत समिति' द्वारा लिया जाएगा।

15. हस्ताक्षर खंड

कि इस करार के विभिन्न भागों को संविदाकार ने पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है।

इसके साक्ष्य-स्वरूप, बैंक एवं संविदाकार ने (यदि संविदाकार कोई भागीदारी अथवा व्यक्ति है), ऊपर सबसे पहले लिखी गई तारीख और वर्ष को, इस दस्तावेज़ और इसकी दो प्रतियों पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।

इसके साक्ष्य-स्वरूप, नियोक्ता ने अपने विधिवत प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं, और संविदाकार ने (यदि संविदाकार कोई कंपनी है), ऊपर सबसे पहले लिखी गई तारीख और वर्ष को, इस पर अपनी सार्वमुद्रा लगाई है और अपनी ओर से इसकी उक्त दो प्रतियों को निष्पादित करवाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

द्वारा :, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची-834001

(हस्ताक्षर एवं तिथि) _____

नाम _____

की उपस्थिति में

(क) नाम एवं पता _____

_____ हस्ताक्षर

एवं तिथि _____

(ख) नाम एवं पता _____

_____ हस्ताक्षर

एवं तिथि _____

_____ द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

(हस्ताक्षर एवं तिथि) _____

नाम _____

की उपस्थिति में

(क) नाम एवं पता _____

_____ हस्ताक्षर

एवं तिथि _____

भा.रि.बै., राँची द्वारा पढ़े पर लिए गए फ्लैटों की सफाई

(ख) नाम एवं पता _____

_____ हस्ताक्षर

एवं तिथि _____

दर-रहित मात्रा-अनुसूची (भाग-II)

मद सं.	मद का विवरण	प्रति वर्ष सफाई की संख्या	इकाई दर (प्रति फ्लैट प्रति वर्ष)
1	प्रत्येक फ्लैट के शौचालय / बाथरूम की साप्ताहिक सफाई	52	
2	प्रत्येक अध्यासित / खाली फ्लैट की त्रैमासिक गहन सफाई	4	
प्रति फ्लैट प्रति वर्ष कुल दर			

टिप्पणी – आज की तिथि तक, फ्लैटों की कुल संख्या 43 है। तथापि, बैंक की आवश्यकता के अनुसार भविष्य में फ्लैटों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी हो सकती है।
